

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मि०न० -252/2025

अनवान :-

1. मानसिंह पुत्र फुसाराग जाति जाट निवासी रामरारा तहसील भादरा ।

:-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मूर्ती चौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक । :-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीत बिजारणिया व प्रतिवादी श्री राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामसरा के खाता संख्या 10/53 के खसरा संख्या 179 की 17.692 है० वारानी, खसरा संख्या 184 की 3.7560 है० वारानी, खसरा संख्या 193 की 3.5030 है० वारानी, कुल खसरे 3 की 24.9510 है० वारानी कृषि भूमि तथा रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता संख्या 14/18 के खसरा संख्या 59 की 2.6430 है० वारानी कृषि भूमि उक्त दोनो खातों की कृषि भूमि में मानचित्र पुत्र फुसाराग की बजाय मानसिंह पुत्र फुसाराग तथा रोही मौजा राखी के खाता संख्या 5/52 के खसरा संख्या 58 की 4.0850 है० वारानी, खसरा संख्या 65 की 1.3790 है० वारानी कृषि भूमि में मानचित पुत्र फुसाराग की बजाय मानसिंह पुत्र फुसाराग किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि मानचित्र/मानचित पुत्र फुसाराग के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम मानचित्र/मानचित पुत्र फुसाराग ही लागू होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की

मुद्रा से जारी की गई।



(भागीरथ राम)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

